SUMMARU TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998 IN THE COURT OF A.K.Gupta J.M.F.C. Gohad , DIST-. Bhind (M.P) Case No. 1 43 2017 30 1010 Complaint or report madeon Name, parentage, caste and address of accused The offence, complainant of, and date of, its alleged commission दिनांक 22 0411 को समय लगभग 13:30 बजे. अंतर्गत थाना का का वहन में वाहन महिल्ला क्र उपाया अथवा उतावलेपन से वलाया ... को साधारण उपहति कारित हुई इस प्रकार आपने ऐसा कृत्य किया है जो की धारा ... १ ... १ ... के तहत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के संज्ञान में आता है। क्या आपको उक्त अपराध स्वीकार है या प्रतिरक्षा चाहते हो 🕨 A.K.Gupta) Judicial Magistrate First Class The plea of the accused and his examination (if any) जुर्म स्वीकार है। माफ किया जावे। Judicial Magistrate First Gohad distt. Bhind (M.P. The offence proved. If any and in case under clasue(d) clasuse(f) clause(g) of sub section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed.

(आज दिनांक 17/08/19 को धोषित)

1 THOR 10 10 8 (20)

01. आरोपी को खेच्छिक संस्वीकृति के आधार पर उसे माठदाविठ की धारा
2 19. मिर्देश के तहत दण्डनीय अपराध का दोषी पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है।
02. दण्ड के प्रश्न पर विचार किया गया। आरोपी के विरुद्ध अभिलेख पर कोई पूर्व दोषसिद्धि अभिलिखित नहीं है। अतः आरोपी की संस्वीकृति एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये आरोपी

को भा.द.वि. की धारा धारा 71 एवं दप्रस की धारा 222 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय उठने तक की अवधि की सण्डल किया जाता है।

03. अर्थदण्ड संदाय में व्यतिकृम की दषा में अभियुक्त को दिवस की अवधि के

04. • जप्तषुदा सम्पत्ति वाहन की दश के कि क कि मिरिया जाये। दिगी क दशा में सुर्न्गीनामा निरस्त समझा जावे। अधील की दशा में माननीय अपील न्यायालय के अनुश का जानन हो।

मेरे निर्देशन पर टकित (All Caupta) Judicial Magistrate Fusions Gold distr Bhind (M.P.)